

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

16-08-2013

आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार, पिता—श्री नागेन्द्र सिंह, सा०—मलिकाना, पो०+थाना—मसौढ़ी, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञाप्ति वाद संख्या—०९-४२५/२०१३ कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि—१६.०८.२०१३ निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—१६.०८.२०१३ को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—९१५/गो०, दिनांक—१७.०६.२०१३ द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं है। पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना के पत्रांक—१५४६/गो०, दि०—१५.०६.२०१३ द्वारा थानाध्यक्ष, मसौढ़ी के अनुशंसा तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी एवं अंचल पुलिस निरीक्षक, मसौढ़ी के अग्रसारण के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा थानाध्यक्ष, मसौढ़ी के अनुशंसा एवं अग्रसारण तथा पुलिस निरीक्षक, मसौढ़ी अंचल के अग्रसारण के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—१० के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञाप्ति निर्गत करने हेतु आवेदक के अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा १३ (२) एवं १३ (२A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (२) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञाप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की ओर प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन०पी०बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार, पिता—श्री नागेन्द्र सिंह, सां—मलिकाना, पो०+थाना—मसौढ़ी, जिला—पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर पिस्टल अनुज्ञाप्ति आवेदन—पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।